न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 68/2024 बउनवानी गिर्राज प्रसाद वर्मा **बनाम** लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर

GCMS No-2024/161

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
26.12.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 8.10.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"साबिक ख0न0 592/1740 हाल ख0न0 631,632,623,628,627, 628, 629 खातेदार हरिभजन पुत्र घासी बैरवा ग्राम आलनपुर की सम्वत2037–40,2042–45, 2046–2049, 2049–2053 तक की खातेदारी की जमाबन्दी के नाम की जमाबन्दी की सूचना"* तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/2024/497 दिनांक 4.12.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 8.10.2024 में चाही गयी सूचना मे से सम्वत् 2039–2042 एवं 2044–2047 की जमाबन्दी जीर्ण शीर्ण होने के कारण उक्त अवधि की जमाबन्दी को छोडकर सम्वत् 2035 से 2038 की जमाबन्दी उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 8.10.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचनाओ मे से जमाबन्दी सम्वत् 2039–2042 एवं 2044–2047 की जमाबन्दी जीर्ण शीर्ण होने के उक्त अवधि की जमाबन्दी को छोडकर शेष सम्वत् 2035–2038 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है किसम्वत् 2048–2053 की जमाबन्दी अपीलान्ट को 15 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 18:03:15 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner